


फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा मुकाम भादरा

जसवन्त वनाम गोपाल आदि

किस्म मुकदमा धारा 88 आरटीएक्ट नं० 26/21.01.2021 रान 2021

र हुवम	हुवम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुवम की तामील जारी हुआ
01-2021	आज यह प्रकरण जरिये वकील वादी की ओर से पेश किया गया। रिपोर्ट सिगैदार होने के बाद प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 09.02.2021 को पेश हो।	
05 <sup>02</sup> / <sub>21</sub>	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी ..... दिनांक 23-02-21 को पेश हो।	
02 <sup>02</sup> / <sub>21</sub>	वकीलवादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते ..... दिनांक 25/03/21 को पेश हो।	
03 <sup>02</sup> / <sub>21</sub>	वकीलवादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते ..... दिनांक 18/06/21 को पेश हो।	
06 <sup>02</sup> / <sub>21</sub>	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी ..... दिनांक 13/08/21 को पेश हो।	
01/8/21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं वादी उपस्थित। वकील वादी ने इस प्रकरण में जमाने और कोई कार्यवाही नहीं चाहेते हैं, प्रकरण को खिटा करने का एवमवा दवा पेश करने का निर्देश किया। अतः इस प्रकरण दवा अन्तर्गत धारा 88 R.G.I को खिटा/खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से काम की जाकर दखिल रफ्तार हो।	<p>नमा दवा पेश करने के इजाजत के साथ दवा withdrawn डिफे जाते हैं निके</p>  <p>क. व. क.</p>

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़)